

प्रेस नोट

थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा एक शातिर अभियुक्त रवि पटेल उर्फ बीरु पटेल को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में एक दर्जन से ज्यादा अभियोग पंजीकृत है, अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध पिस्टल व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया

आज दिनांक 24.02.2021 को थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कर्मदेश्वर मंदिर तिराहा कन्दवा के पास से एक शातिर अपराधी रवि पटेल उर्फ बीरु पटेल पुत्र बलवन्त पटेल निवासी भुल्लनपुर थाना मण्डुवाडीह, वाराणसी जिसने दिनांक 23.02.2021 को एक व्यक्ति से 20000/- रु0 की रंगदारी मांगी थी जिसके संबंध में थाना मण्डुवाडीह में मु0अ0सं0 69/21 धारा 386/504/506 भा0द0वि0 पंजीकृत है को को समय 20.45 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त रवि उर्फ बीरु के कब्जे से एक अदद अवैध पिस्टल 32 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस तथा एक अदद मोबाइल फोन रियलमी कम्पनी बरामद हुआ है। अभियुक्त रवि पटेल शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरुद्ध विभिन्न थानों में हत्या, लूट, गैंगस्टर, चोरी व आर्म्स एक्ट के एक दर्जन से ज्यादा अभियोग पंजीकृत हैं। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध में थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता व आपराधिक इतिहास

रवि पटेल उर्फ बीरु पटेल पुत्र बलवन्त पटेल निवासी भुल्लनपुर थाना मण्डुवाडीह वाराणसी उम्र 24 वर्ष

1. मु0अ0सं0 51/20 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना रोहनिया वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 66/20 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना रोहनिया वाराणसी।
3. मु0अ0सं0 91/20 धारा 307/457/380/411 भा0द0वि0 थाना रोहनिया वाराणसी।
4. मु0अ0सं0 234/20 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना रोहनिया वाराणसी।
5. मु0अ0सं0 712/17 धारा 302/201/328 भा0द0वि0 थाना फूलपुर वाराणसी।
6. मु0अ0सं0 01/21 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना रोहनिया वाराणसी।
7. मु0अ0सं0 152/18 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना फूलपुर वाराणसी।
8. मु0अ0सं0 896/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रोहनिया वाराणसी।
9. मु0अ0सं0 348/17 धारा 394 भा0द0वि0 थाना रोहनिया वाराणसी।
10. मु0अ0सं0 306/15 धारा 380 भा0द0वि0 थाना कैण्ट वाराणसी।
11. मु0अ0सं0 598/15 धारा 380 भा0द0वि0 थाना कैण्ट वाराणसी।
12. मु0अ0सं0 003/16 धारा 41/411/416 भा0द0वि0 थाना कैण्ट वाराणसी।

13.मु0अ0सं0 69/21 धारा 386/504/506 भा0द0वि0 थाना मण्डुवाडीह वाराणसी ।

14.मु0अ0सं0 71/21 धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना मण्डुवाडीह वाराणसी ।

विवरण बरामदगी

- एक अदद पिस्टल 0.32 बोर व मय दो अदद जिन्दा कारतुस 0.32 बोर
- एक अदद मोबाइल फोन रियलमी कम्पनी का रंग हरा जिसका IMEI NO 863047042926375 व 863047042926367

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण* –**

प्रभारी निरीक्षक परशुराम त्रिपाठी, व0उ0नि0 राजेश त्रिपाठी, उ0नि0 रामपूजन विन्द चौकी प्रभारी डीएलडब्ल्यू, उ0नि0 अजय दुबे चौकी प्रभारी मड़ौली, हे0का0 लवकुमार सिंह व हे0का0 हरिप्रकाश सिंह व का0 हंसराज पाल थाना मण्डुवाडीह वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

आज दिनांक 25.02.2021 को थाना लोहता के उ0नि0 राजेश सिंह मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में कस्बा लोहता में मौजूद थे कि जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति अवैध गांजा लिए भोरा तालाब से बड़ी बाजार लोहता जाने वाली सड़क के पास आने-जाने वाले व्यक्तियों को गांजा बेच रहा है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर विश्वास कर थाना लोहता पुलिस द्वारा उक्त स्थान पर पहुंचकर मुखबिर की निशानदेही पर एक व्यक्ति जो गांजा बेच रहा था को पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम यूसुफ पुत्र मो0 हनीफ निवासी इस्लामपुर भोरा तालाब थाना लोहता वाराणसी उम्र 59 वर्ष बताया। अभियुक्त यूसुफ के कब्जे से एक झोले में **2 किग्रा0 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ**, जिसके संबंध में थाना लोहता में मु0अ0स0 058/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर, अभियुक्त यूसुफ उपरोक्त को समय 07.45 बजे गिरफ्तार करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी अभियुक्त का विवरण

- यूसुफ S/O मो0 हनीफ निवासी इस्लामपुर भोरा तालाब थाना लोहता वाराणसी उम्र 59 वर्ष

बरामदगी का विवरण

- 02 किग्रा0 100 ग्राम अवैध गांजा व जामा तलाशी 300 रुपया।

पुलिस टीम का विवरण –

- उ0नि0 राजेश सिंह, उ0नि0 सुभाषचन्द्र वर्मा, का0 दिवाकर गुप्ता, का0 शंकर राम, का0 गौरव सिंह

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

दिनांक 24.02.2021 को थाना शिवपुर के उ0नि0 नरेन्द्र कुमार कन्नौजिया मय हमराह देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि थाना शिवपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 001/2021 धारा 419/420/467/468/471/504/506/406 भादवि से संबंधित अभियुक्त गुलाब मौर्या पुत्र स्व0 रामधनी मौर्या निवासी म0न0 ए-75 वी0 डी0 ए0 कालोनी फेस 01 बड़ालालपुर लमही थाना शिवपुर वाराणसी जो नटिनियादाई मंदिर के पास खडा है, जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है। उक्त सूचना पर विश्वास कर थाना शिवपुर पुलिस, मुखबिर के साथ उक्त स्थान पर पहुंचकर, मुखबिर की निशानदेही पर अभियुक्त गुलाब मौर्या को समय करीब 22.00 बजे गिरफ्तारी किया गया। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना शिवपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार व्यक्ति का विवरण

1. गुलाब मौर्या पुत्र स्व0 रामधनी मौर्या निवासी म0न0 ए-75 वी0 डी0 ए0 कालोनी फेस 01 बड़ालालपुर लमही थाना शिवपुर वाराणसी।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण*-**

- उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार कन्नौजिया, हे0का0 चन्दन सिंह, का0 मनोज कुमार थाना शिवपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 146/2021 दिनांक: फरवरी, 25/2021

प्रेस नोट

दिनांक 24.02.2021 को थाना रामनगर के उ0नि0 ईश्वरचन्द्र यादव मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति जो अवैध गांजा बेचने के लिए शास्त्री चौक कस्बा रामनगर के पास मौजूद हैं, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते हैं। उक्त सूचना पर विश्वास कर उक्त स्थान से मुखबिर की निशानदेही पर दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ गया, जिनके कब्जे से अवैध गांजा वजन 2 कि0ग्रा0 800 ग्राम बरामद किया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया कि पहले ने अपना नाम शिव चरन सिंह चौहान पुत्र स्व प्यारे लाल चौहान निवासी चन्द्रखा थाना अलीनगर चंदौली 0 तथा दूसरे ने अपना नाम संजय कुमार जायसवाल पुत्र स्व बच्चा बाबू जायसवाल निवासी 0डी 46/20 लक्सा रोड़ थाना लक्सा वाराणसी बताया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रामनगर में मु 0सं0अ0 एनडीपीएस एक्ट 20/8 धारा 2021/0051पंजीकृत कर, दोनों अभियुक्त शिवचरन सिंह चौहान व संजय कुमार जायसवाल को समय करीब 21.00 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

प्यारे लाल चौहान निवासी चन्द्रखा थाना अलीनगर 0शिव चरन सिंह चौहान पुत्र स्व .(1)
चंदौली

बच्चा बाबू जायसवाल निवासी 0संजय कुमार जायसवाल पुत्र स्व .(2) डी लक्सा 20/46
रोड़ थाना लक्सा वाराणसी

बरामदगी का विवरण-

- 02 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा ।

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण :-

उईशचन्द्र यादव 0नि0, उअभिनव श्रीवास्तव 0नि0, हेब्रह्मदेव सिंह 0का0, कासिद्धार्थ 0
कुमार रजक थाना रामनगर जनपद वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

*जनपद वाराणसी के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जन सामान्य के **MISSING** 51 मोबाइल फोन (कीमत लगभग 7,00,000/-रूपये) सर्वािलांस सेल द्वारा बरामद*

पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-वाराणसी के कुशल निर्देशन में जनपद के विगत आठ माह के दौरान **MISSING** मोबाइल फोन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के अनुसार बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक सुरक्षा अदित्य लखन के नेतृत्व में सर्वािलांस सेल प्रभारी उ0नि0 अरूण प्रताप सिंह को विशेष रूप से रूचि लेकर **MISSING** 51 मोबाइल फोन बरामद किया गया।

उक्त क्रम में प्रभारी सर्वािलांस सेल उ0नि0 अरूण प्रताप सिंह द्वारा मु0आरक्षी ज्ञानेन्द्र कुमार, मु0आरक्षी विवेक मणि त्रिपाठी, मु0आरक्षी संतोष कुमार पासवान, आरक्षी दिवाकर वत्स, आरक्षी सन्तोष कुमार यादव, आरक्षी अनुग्रह कुमार वर्मा, आरक्षी मनीष कुमार, आरक्षी अश्विनी सिंह, आरक्षी प्रेम पंकज कुमार टीम गठित कर जनपद वाराणसी के विभिन्न थानाक्षेत्रों से **MISSING** हुये 51 अदद मोबाइल फोन बरामद किये गये। जो विगत कुछ समय में जनसामान्य के दौरान मोबाइल फोन खोये थे। सर्वािलांस सेल द्वारा **MISSING** के 51 मोबाइल फोन की बरामदगी की गयी जिन्हे उनके वास्तविक स्वामी को सुपुर्द किया जा रहा है, जिसकी सूची निम्नवत है।

क्र0सं0- वादी का नाम- वादी का मोबाइल नम्बर

- 1- प्रहलाद-
- 2- जगदीश चौरसिया-
- 3- मुकेश कुमार गुप्ता-
- 4- अविनाश कुमार-
- 5- सतीश कुमार गुप्ता-
- 6- विश्वनाथ-
- 7- संतोष पटेल-
- 8- अनील कुमार सिंह-
- 9- किशन पटेल-
- 10- मनोज कुमार पटेल-
- 11- अशोक कुमार श्रीवास्तव-
- 12- सुनील कुमार सोनकर-
- 13- हरी नारायण गुप्ता-
- 14- दिलीप कुमार-
- 15- सस्कार सिंह-
- 16- कन्हैया-
- 17- राकेश यादव-
- 18- जावेद अख्तर-
- 19- जुनैद अख्तर-
- 20- आशीष कुमार सिंह-
- 21- सुभाष चन्द्र -
- 22- उत्कर्ष पाठक-
- 23- अजय कुमार पाण्डेय-
- 24- धर्मेन्द्र कुमार -

- 25- मु0 मजीद-
- 26- अनुप कुमार-
- 27- श्रेया यादव-
- 28- मनोज कुमार पाण्डेय-
- 29- संदिप कुमार-
- 30- नूरीन फातमा-
- 31- संतोष कुमार गुप्ता-
- 32- अमरेन्द्र प्रताप सिंह-
- 33- लव कुमार-
- 34- अनिकेत विश्वकर्मा-
- 35- संदीप यादव-
- 36- होमगार्ड बबलु सिंह-
- 37- मनोज पटेल-
- 38- तरुण राज कौशिक-
- 39- महेन्द्र कुमार यादव-
- 40- धरम चन्द्र सोनकर-
- 41- अजीत सिंह यादव-
- 42- रमजान अली-
- 43- आरक्षी आशिष कुमार द्विवेदी-
- 44- प्रियन्का राय-
- 45- शिव कुमार पटेल-
- 46- सुजीत सिंह-
- 47- अमन यादव-
- 48- अतुल केशरी-
- 49- आज्ञा कुमारी जैसवाल-
- 50- अशोक-
- 51- बलवन्त कुमार कन्नौजिया-

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।





प्रेस नोट

आज दिनांक 25.02.2021 को थाना लालपुर-पाण्डेयपुर के उ0नि0 हरिशंकर मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के पाण्डेयपुर चौराहे पर मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली की थाना लालपुर-पाण्डेयपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 0054/2021 धारा 363/376/343/323 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त करन सोनकर इस समय हुकुलगंज रोड साई मंदिर के पास मौजूद है, अगर जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर हुकुलगंज रोड पर साई मंदिर के पास से एक व्यक्ति को मुखबिर की निशादेही पर पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम करन सोनकर पुत्र मन्नालाल सोनकर निवासी एस 9/21 नईबस्ती हुकुलगंज थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष बताया। थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को समय करीब 11.10 बजे गिरफ्तारी कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी अभियुक्त का विवरण

- करन सोनकर पुत्र मन्नालाल सोनकर निवासी एस 9/21 नईबस्ती हुकुलगंज थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

- उ0नि0 हरिशंकर यादव, हे0का0 दिनेश राय का0 अजय मिश्रा थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

आज दिनांक 25.01.2020 को थाना सिन्धौरा के उ0नि0 सुरेन्द्र शुक्ल मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि थाना सिन्धौरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 025/2020 धारा 363/366 भादवि से संबंधित अपहृता एक लड़के के साथ रोडवेज बस स्टाप कैंट के पास मौजूद हैं और कहीं जाने की फिराक में है, जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर विश्वास कर थाना सिन्धौरा पुलिस रोडवेज बस स्टाप कैंट पहुँची तो बस स्टाप के बाहर प्रतीक्षालय में बैठे एक लड़की व लड़का जो आपस में बातें कर रहे थे को मुखबिर की निशानदेही पर बैठे लड़के को पकड़ा लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम रवि बेनवंशी पुत्र उदय राज बेनवंशी निवासी ग्राम मेहनाजपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष है बताया। जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता को बरामद किया गया। थाना सिन्धौरा पुलिस द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को समय 16.05 बजे गिरफ्तार कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. रवि बेनवंशी पुत्र उदयरज बेनवंशी निवासी ग्राम मेहनाजपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 025/2020 धारा 363/366 आईपीसी थाना सिंधौरा जनपद वाराणसी।

गिरफ्तारी का दिनांक व समय: 25.02.2021 समय 16.05 बजे ।

बरामदगी करने वाले टीम के सदस्य-

उश्री सुरेन्द्र शुक्ल 0नि0, उश्री बरदानी लाल 0नि0, मरेनू दूबे 0आ0 थाना सिन्धौरा जनपद वाराणसी



प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 149/2021 दिनांक: फरवरी, 25/2021

प्रेस नोट

पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *“मिशन शक्ति”* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 25.02.2021 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108, 102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 101 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 3149 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 572 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 95 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 765 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया साथ ही 01 व्यक्ति के विरुद्ध धारा 151 सीआरपीसी की कार्यवाही व 92 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गई।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।